सेंटर फॉर मटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त सोसायटी)

महानिदेशक, सी – मेट के पद को भरने के लिए विज्ञापन

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) **महानिदेशक, सी – मेट** के पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है ।

भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी **सेंटर फॉर मटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट) की स्थापना** तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) जिसका मूख्यालय पुणे है, द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य उद्योगों को प्रौद्योगिकी / तकनीकी जानकारी के परिणामों के हस्तांतरण पर फोकस के साथ बहुत सी इलेक्ट्रोनिक सामग्री और प्रक्रियाओं पर अनुसंधान और विकास करना है। सी मेट के तत्वाधान में तीन प्रोगशालाएं हैं जिसमें हरेक का एक विशेषीकृत शासनादेश है : (क) हैदराबाद प्रयोगशाला (ख) थ्रिसूर प्रयोगशाला और (ग) पुणे प्रयोगशाला। सी-मेट एक सामरिक महत्व की इकाई है जो रक्षा, अन्तरिक्ष और आण्विक शक्ति से जुड़े भविष्यगत तकनीकों पर कार्य कर रही है और साथ हीं आयात के विकल्पों का विकास कर रही है तथा इस प्रकार देश को उपरोक्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना रही है ।

महानिदेशक, सोसाइटी मुख्य कार्यकारी होता है जिसके पास शाषी परिषद/ अधिशाषी समिति के फैसले को लागू करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होती हैं और साथ हीं वे सोसायटी के उपयुक्त प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ और योजनाएं बनाता है । महानिदेशक की जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार हैं : -

क) महानिदेशक शासी परिषद के मार्गदर्शन में सी– मेट के समग्र प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे ।

ख) महानिदेशक को पेशेवर योग्य प्रौद्योगिकीविद (टेक्नोक्रेट) और प्रबंधन कार्मिकों के समूह का नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी ।

ग) महानिदेशक सोसायटी की वार्षिक योजनाओं, बजट आदि तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

घ) महानिदेशक ऐसी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि सी– मेट के चार्टर में निहित है या शासी परिषद द्वारा उसे / उसको प्रत्यायोजित किया गया है ।

ड़) महानिदेशक, शासी परिषद के सदस्य सचिव होंगे ।

महानिदेशक, सी– मेट का पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 (144200-218200 रु.) के वेतनमान में होगा और इसे सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) से किसी एक में भरे जाने का प्रस्ताव है । सीधी भर्ती पद्धति से भरे गए पद का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की आयु तक होगा और यदि पद प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पद्धति से भरा जाता है तो कार्यकाल 5 साल या सेवानिवृत्ति की आयु, जो पहले होगा, तक होगा ।

पात्रता मापदंड

1. शैक्षिक योग्यता और अनुभव

क. सीधी भर्ती के लिए

I. (क) आवश्यक योग्यता और अनुभव

विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, भौतिकी या रसायन विज्ञान या सामग्री विज्ञान में साथ-साथ योग्यता पश्चात 25 साल का अनुभव।

या

अभियांत्रिकी / प्रद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, दूरसंचार, रासायन अथवा सामग्री अभियांत्रिकी अथवा समकक्ष के साथ-साथ योग्यता पश्चात 22 साल का अनुभव ।

या

उपरोक्त उद्धृत विषयों में से किसी में पीएचडी के साथ-साथ योग्यता पश्चात 17 साल का अनुभव

(ख) अनिवार्य अनुभव :

उम्मीदवार के पास वरिष्ठ प्रबंधन क्षमता में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

II. वांछनीय :

उम्मीदवार को परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव होना चाहिए जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव नवीनतम प्रौद्योगिकियों और अंतरराष्ट्रीय रुझानों युक्त सामग्री अभियांत्रिकी या उपकरण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में होना चाहिए ।

2. प्रतिनियुक्ति हेतु (अल्पावधि संविदा सहित) : -

प्रतिनियुक्ति पर भर्ती के मामले में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी : -

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों;

या

अपने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13क (1,31,200 -2,16,600/-) के वेतनमान में 3 साल की नियमित सेवा के साथ;

तथा

(ii) सीधी भर्ती माध्यम के लिए निर्धारित योग्यता (ओं) और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी ।

नोट 1: इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) उसी संगठन में या केंद्र सरकार के अन्य संगठन या विभाग में आमतौर पर पांच साल से अधिक नहीं होगी ।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2. <u>आयु सीमा</u> :

(i) **सीधी भर्ती के लिए** : **50 वर्ष**
(ii) **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए : 58 वर्ष**

नोट 1: सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आयु-सीमा छूट, समय-समय पर जारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार शासित होगी ।

नोट 2: एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटियों के सेवारत कर्मचारियों को सीधी भर्ती के मध्यम से आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट।

नोट 3: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी और न कि दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और पंगी उप-विभाग चंबा जिला, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अंतिम निर्धारित तारीख ।

3. <u>सामान्य बातें:</u>

(i) आवेदन, सभी मामलों में पूर्ण, प्रमाण पत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियों, योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि आदि से संबंधित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोज़गार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन बाद होगी।** इसके अतिरिक्त, आवेदन वाले लिफाफे पर **"महानिदेशक (सी-मेट), पद के लिए आवेदन"** का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा उप निदेशक (एबीसी डिवीजन), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6–सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003, को संबोधित होना चाहिए ।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और पंगी उप-प्रभाग चंबा जिला, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार

द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के आवेदकों के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिन बाद होगी।**

(ii) जो लोग सरकार / पीएसयू / स्वायत्त निकायों में काम कर रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना आवश्यक है साथ में पांच वर्षों के एपीएआर की प्रतियों के साथ सतर्कता / अनुशासनिक अनापत्ति जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हों, जो अवर सचिव या समकक्ष के रैंक से नीचे न हो, भी भेजना आवश्यक है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा को भी प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित किया जाए कि कहीं उस पर कोई छोटी / बड़ी शास्ति तो अधिरोपित नहीं की गई है।

नोट:

1. ऐसे आवेदन जो विज्ञापन के अनुरूप नहीं होंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।
2. केवल अल्प सूचीबद्ध उम्मीदवारों को निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, उम्मीदवार को निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाए जाने की अर्हता प्रदान नहीं करती है ।

इस विज्ञापन से संबन्धित आवेदन प्रपत्र व अन्य विवरण के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित वेबसाइटों का भी सन्दर्भ ले सकते हैं ।

www.meity.gov.in., www.persmin.gov.in., www.cmet.gov.in और www.ncs.gov.in.

(नोट- विज्ञापन के किसी भाग की व्याख्या में संदेह अथवा भ्रम की स्थिति में इसका मूल पाठ अर्थात अंग्रेजी वैध माना जाए।)